प्रस्ताव हेतु अनुरोध

अनुवादकों के पैनल के लिए वैयक्तिकों से आवेदन

राजभाषा विभाग
मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरा-पाँचवा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड
नई दिल्ली –110 003
दूरभाष : 011- 3918 7000-35
ई-मेल: susanta.padhi@nhb.org.in, ranjan.barun@nhb.org.in

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	प्रस्ताव अपलोडिंग की तिथि	**19/01/2021**
2.	आवदेन प्रस्तुति की अंतिम तिथि एवं समय	**01/02/2021** **सायं 06:00 बजे**
3.	प्रस्ताव खोलने का स्थान **(इस हेतु तिथि अलग से सूचित की जाएगी)**	**राष्ट्रीय आवास बैंक** **राजभाषा विभाग** **मुख्यालय, कोर5-ए , तीसरा-पाँचवा तल** **भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड** **नई दिल्ली – 110 003**

1. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार का एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को पर्यवेक्षित करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई, बेंगलूरू, हैदराबाद तथा कोलकाता में स्थित है। बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद में स्थित है।

प्रयोजन:

- बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नित नए प्रयास किये जाते रहते हैं एवं बैंक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है।
- राजभाषा विभाग हिंदी अनुवाद के लिए आने वाले सभी दस्तावेजों के अनुवाद का कार्य करने के साथ बैंक में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए राजभाषा नीति एवं नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है फिर भी कभी-कभी कार्यों की अधिकता की वजह से विभाग को प्राप्त होने वाले अनुवाद कार्य को बाहरी अनुवादकों से करवाना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंक ने अनुवादकों के पैनल के गठन का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य सभी दस्तावेजों का समयसीमा के अंदर हिंदी अनुवाद कर सम्बंधित विभाग को उपलब्ध कराना है।
- पैनल हेतु चयनित अनुवादकों को बैंक द्वारा दी गयी समयसीमा का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा जिससे कि विभाग के दैनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

अनुवादकों के पैनल में नाम देने हेतु निम्न नियम एवं शर्तों का अवलोकन करने के पश्चात ही आवेदन करें:

शैक्षिक योग्यता :-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी या हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री, जिसके साथ स्नातक स्तर पर हिंदी या अंग्रेजी पढ़े हों।

अथवा

स्नातक स्तर पर हिंदी या अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में पढ़े हों।

2. केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों जिनमें सरकारी उपक्रम, बैंक, स्वयात्त निकाय अथवा मंत्रालय आदि से अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में कम-से-कम पांच वर्ष तक अनुवाद कार्य का अनुभव हो अथवा किसी सरकारी उपक्रम, बैंक, स्वयात्त निकाय अथवा मंत्रालय में हिंदी सहायक/हिंदी अनुवादक या हिंदी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो।

3. उन अनुवादकों को वरीयता दी जाएगी जिन्हें वित्तीय/आवास/आवास वित्त प्रकृति के दस्तावेजों के अनुवाद का अनुभव हो।

4. अनुवाद हेतु व हिन्दी टाइपिंग दरें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएँगी।

5. आवेदन करते समय अभ्यर्थी को आवश्यक दस्तावेज के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रेषित करनी होगी।

6. भरे हुए आवेदन पत्र को वांछित दस्तावेजों के साथ **श्री सुशांत कुमार पाढ़ी, महाप्रबंधक (राजभाषा विभाग), तीसरा तल, राष्ट्रीय आवास बैंक, इंडिया हैबिटैट सेंटर, कोर 5 ए, लोधी रोड, नयी दिल्ली – 110 003** पर प्रेषित करना होगा तथा लिफाफे पर बाहर की ओर "**अनुवादकों के पैनल के लिए आवेदन**" अवश्य लिखें अथवा आवेदक अपना आवेदन ईमेल के माध्यम से Shobhit.tripathi@nhb.org.in पर भी समर्थित दस्तावेज़ों (10mb से अधिक न हो) के साथ प्रेषित कर सकते हैं।

7. निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. अनुवाद कार्य हेतु आवेदक को कृतिदेव एवं यूनिकोड में टाइपिंग का ज्ञान आवश्यक है।

9. कृपया नोट करें कि यदि बैंक द्वारा आपका चयन पैनल के लिए होता है तो आपको होने वाले सभी भुगतानों पर कर कटौती नियमानुसार की जाएगी।

10. बैंक द्वारा तय समय सीमा अथवा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बैंक अपने विवेकाधिकार पर बैंक के पैनल से हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाई कर सकता है।

इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपना आवेदन संलग्नक प्रपत्र के अनुसार अंतिम तिथि तक प्रेषित कर दें। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक में अनुवादकों के पैनल के गठन हेतु प्रोफॉर्मा

1. **नाम** : ....

2. **पता** : ....
....

3. **फोन/मोबाइल नं.** : ....

4. **ई-मेल** : ....

5. **शैक्षिक योग्यता** : ....
....
....

6. **अनुभव** : ....
....

7. **पूर्व नियोक्ता** : ....

8. **अन्य** : ....

दिनांक : **हस्ताक्षर**
स्थान :

नोट: कृपया सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य लगाएं।